

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-82/2012/20-3

भोपाल, दिनांक / / 2012

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
पीत विहार, नई दिल्ली।

विषय-अशासकीय शिक्षण संस्था ओपन स्कूल एकेडमी हादपिपल्या, जिला देवास, मध्य प्रदेश को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

-0-

राज्य शासन द्वारा विषयवस्तु संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शायद पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है -

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा मध्य प्रदेश शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रथम एवं विद्यार्थी के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रथम कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास, (MOPD) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील जग्गि भवन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा वृत्त स्तर में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यापाल के नाम से
तथा आवेदानुसार,

(बी. एस. डाबर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

02/11/12

.....2

1 / 2 / 1

पू०क्र० एफ क्रमांक एफ 73-82/2012/20-3

भोपाल, दिनांक 31/ 7/2012

प्रतिलिपि

1- सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था ओपन स्कूल एकेडमी हादपिपल्या, जिला देवास, मध्य प्रदेश को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता प्राप्त हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है-

- (i) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा।
- (ii) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या इच्छा-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिक्षापत्र आदि में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2- आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र.।

3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला, देवास, MOPD।

4- ऑर्डर बुक।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

02/11/12